जिला गव्य विकास कार्यालय, पलामू।

"इच्छा की अभिव्यक्ति"

भारत सरकार द्वारा दुधारू मवेशी पालक कृषकों को उनके दुधारू पशुओं के रख–रखाव हेतु कार्यकारी पूँजी की व्यवस्था के सरलीकरण हेतु किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) से आच्छादित करने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

उक्त के आलोक में पलामू जिला के वैसे दुधारू मवेशी पालक कृषकों, जो गव्य विकास द्वारा संचालित दुधारू मवेशी वितरण कार्यक्रम यथा RKVY, 90% अनुदान पर 02 दुधारू गाय वितरण की योजना एवं नाबार्ड के माध्यम से केन्द्र प्रायोजित डेयरी उद्यमिता विकास योजना (DEDS) के साथ–साथ स्वयं के स्तर से गव्य व्यवसाय से जुड़े हैं तथा जिनके द्वारा दूध की बिक्री झारखण्ड मिल्क फेडरेशन (JMF) द्वारा संचालित बल्क मिल्क कूलर(BMC) एवं उससे सम्बद्ध मिल्क पूलिंग प्वाईंट (MPP) के माध्यम से की जाती है, उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) से आच्छादित करने का निदेश प्राप्त है।

अतः वैसे दुधारू मवेशी पालकों से अपील है कि किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के लिए आवेदन हेतु झारखण्ड मिल्क फेडरेशन (JMF) द्वारा संचालित बल्क मिल्क कूलर(BMC) एवं उससे सम्बद्ध मिल्क पूलिंग प्वाईंट (MPP) से निःशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त कर लें एवं आवेदन पत्र को पूर्ण रूप से भर कर बल्क मिल्क कूलर(BMC) एवं मिल्क पूलिंग प्वाईंट (MPP) के संचालक से हस्ताक्षर एवं मुहरित कराकर जिला गव्य विकास कार्यालय, पलामू में दिनांक– 26.06.2020 तक अनिवार्य रूप से जमा कराना सुनिश्चित करें।

पशुपालकों के सुविधा हेतु जिला गव्य विकास कार्यालय, पलामू से भी किसी भी कार्यदिवस के दिन आवेदन प्रपत्र निःशुल्क दिनांक– 24.06.2020 तक प्राप्त किया जा सकता है।

नोटः– विशेष जानकारी के लिए मोबाईल नं0– 9835351408 पर संपर्क किया जा सकता है।

गव्य तकनीकी पदाधिकारी,
पलामू।